प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ : दिनॉक 12 फरवरी, 2020

विषयः- वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-83 से उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,सैफई, इटावा में 300 बेडेड नर्सेज हास्टल के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2599/ई/यू0पी0यू0एम0एस0/अभि0वि0-84/2019-20, दिनांक 17.10.2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,सैफई, इटावा के शासनादेश संख्या-14/2018/394/71-4-2018-एस-1/2015 दिनांक 06 नवम्बर, 2018 द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में निर्माणाधीन 300 बेडेड नर्सेज हास्टल की प्रायोजना को पुनरीक्षित करते हुए रू0 2369.92 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-83 से विश्वविद्यालय परिसर में 300 बेडेड नर्सेज हास्टल के निर्माण हेतु रू0 104.00 लाख (रूपए एक करोड़ चार लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

1. कार्यदायी संस्था तथा विश्वविद्यालय द्वारा वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22.03.2019 में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
2. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था तथा विश्वविद्यालय की होगी।
3. कार्यदायी संस्था तथा विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
4. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।
5. विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो।
6. विश्वविद्यालय द्वारा प्रायोजना, रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग की शर्तो का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
7. अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जाएगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक/डाकघर खाते आदि में नहीं रखा जाएगा।
8. कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

9. आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जाएगा।
10. प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/संस्थान के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जाएगा।
11. धनराशि को कोषागार से विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी द्वारा आहरित किया जाएगा एवं बिलों पर महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ के हस्ताक्षर प्राप्त किये जाएगे।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के लेखा लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-3-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-29-रूरल इंस्टीटयूट आफ मेडिकल सांईसेज रिसर्च, सैफई, इटावा-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनॉक 22 मार्च, 2019 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या:- 08/2020/1858/(1)/71-4-2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार,लेखा एवं हकदारी (प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार ,सिविल आडिट (प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0, प्रयागराज।
3. कोषाधिकारी, इटावा।
4. महानिदेशक ,चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण ,उ0प्र0, लखनऊ ।
5. वित्त अधिकारी, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग/3-नियोजन अनुभाग /4-वित्त्(आय-व्ययक) अनुभाग-2
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अनिल कुमार सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।